भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2183

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनएचएम के अंतर्गत एम्बुलेंस

†2183. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने गृह मंत्रालय के अधिदेशानुसार 102, 108 और अन्य सभी एम्बुलेंस नंबरों को 112 में एकीकृत करने के लिए कोई निर्देश जारी किया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और
(ग) आपातकालीन प्रतिक्रिया नंबरों को 112 में एकीकृत करने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य सरकार एजेंसियों हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, देश भर में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। "जन स्वास्थ्य और अस्पताल" राज्य का विषय है, और जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी, जिसमें आवश्यक संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना और उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करना भी शामिल है, संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। 102 और 108 के लिए कॉल सेंटर्स राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने अगस्त, 2015 में राष्ट्रव्यापी आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली (एनईआरएस) दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें स्पष्ट रूप से अधिदेश है कि "अग्निशमन, चिकित्सा और हेल्पलाइन जैसी अन्य सेवाओं को '112' प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।" इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 20.8.2020 के अपने पत्र के माध्यम से सभी सेवा प्रदाताओं को एकल नंबर आधारित आपातकालीन अनुक्रिया सहायता प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किया कि "एकल आपातकालीन नंबर '112' एसटीडी पर भी उपलब्ध होगा, जिससे राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति भी उस राज्य में संकट में फंसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के लिए राज्य 112 पर कॉल कर सकेगा।

*****